न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. सतार पुत्र श्री मोलाबक ा जाति मुसलमान निवासी 12 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. नगेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

..... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाश्चकगण :–

1. श्री रफीक भााह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदे ा दिनांक :– 24.01.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार कि प्रार्थी ने सन् 2015 में चक 10 केएचएम के मु0न0 58/21 के किला 1 ता 25 कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खरीद कर नामान्तरण सं0 43 से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ली। प्रार्थी के मु0न0 58/21 में किला नं0 1 ता 25 में रास्ता/खाला नहीं है। और अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में खाला स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त खाला कच्ची साख द्वारा संचालित होता है। लेकिन ग्राम पंचायत उक्त स्वीकृत ुदा खाला को पक्का बनाना चाहती है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधियो से साठ–गाठ कर प्रार्थी के मु0न0 58/21 के किला नं0 1,10,11,20,21 में खाला बनाने पर उतारू है। अप्रार्थी द्वारा नाजायज रूप से पक्का खाला का निर्माण करने पर आमदा है। जबकि प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का स्वीकृत खाला ना तो राजस्व रिकार्ड में ओर ना ही मौके पर चालु है। अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तामिल होन पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.09.2017 को जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने वि ोश कथन में बताया कि अप्रार्थी के नाम कृशि भूमि वाके चक 10 केएचएम का मु0न0 58/12 में 1 ता 25 व 58/13 में 1 ता 25 कुल 50.00 बीघा खातेदारी ुदा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 में वर्शा से कच्ची साख बनी हुई है और मु0न0 58/13 की कच्ची साख से मु0न0 58/12 के किला नं0 25 के नक्का के अप्रार्थी वर्शो से सिंचाई कर रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कार्यालय अधि ाशी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पे ा कर मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में मु0न0 58/12 के वर्तमान नक्का को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पे ा किया है। जिसपर अधि ाशी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला में आदे ा क्रमांक/तकनीक/875 दिनांक 04.07.2017 को चक 10 केएचएम मु0न0 58/12 की हेतु मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कच्ची साख व मु0न0 58/12 के किला किला नं0 25 में नक्का स्वीकृत प्रदान कर दी गई। उक्त कच्ची साख व नक्के का निर्माण अप्रार्थी सं0 1 के स्वंय के खर्चे पर करने का आदे ा फरमाया गया है और चक 10 केएचएम के मु0न0 58/13 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा व मु0न0 58/12 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा अप्रार्थी सं0 1 स्वंय की है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 कार्यालय अधि ाशी अभियन्ता जल संसा ान खण्ड खाजूवाला आदे ानुसार अपने स्वंय के रकबा के मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में अपनी सीमा में ही खाले का निर्माण किया है और प्रार्थी रजि ावं ा व राजनैतिक द्वेश के कारण व अप्रार्थी सं0 1 के हितो पर कुठाराघात करने के उद्दे य से उक्त साख के निर्माण में जानबुझकर पेर ानी पैदा कर रहा है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने के इस्तदुआ की गयी है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भुद्धा कब्जा व का त की भूमि वाके चक 10 केएचएम के मु0न0 58/21 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बाबत् चिरनिशेधाज्ञा जारी हो और अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी की भूमि में से पक्का खाला का निर्माण न करें। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने पुरजोर विरोध किया और प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने वि ोश कथन में बताया कि अप्रार्थी के नाम कृशि भूमि वाके चक 10 केएचएम का मु0न0 58/12 में 1 ता 25 व 58/13 में 1 ता 25 कुल 50.00 बीघा खातेदारी ुदा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 में वर्शो से कच्ची साख बनी हुई है और मु0न0 58/13 की कच्ची साख से मु0न0 58/12 के किला नं0 25 के नक्का के अप्रार्थी वर्शो से सिंचाई कर रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कार्यालय अधि ाशी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पे ा कर मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में मु0न0 58/12 के वर्तमान नक्का को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पे ा किया है।

जिसपर अधि ाशी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला में आदे ा क्रमाक/तकनीक/875 दिनांक 04.07.2017 को चक 10 केएचएम मु0न0 58/12 की हेतु मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कच्ची साख व मु0न0 58/12 के किला किला नं0 25 में नक्का स्वीकृत प्रदान कर दी गई। उक्त कच्ची साख व नक्के का निर्माण अप्रार्थी सं0 1 के स्वंय के खर्चे पर करने का आदे ा फरमाया गया है। साथ ही इस संबंध में प्रार्थी ने दावा व स्थगन माननीय सिविल न्यायाधी ा खाजूवाला मे पे ा किया था जो प्रकरण संव 35/17 सतार बनाम अधि ाशी अभियन्ता के दिनांक 19/09/19 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र चलाने योग्य नहीं है। अतः मुताबिक नक ाा मौको और संबंधित विभाग के आदे ा जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति अप्रार्थी को है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा की गई मांग को उचित मानते हुए और कार्यालय अधि ाांशी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के आदे ा क्रमांक/तकनीकी/875 दिनांक 04.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 10 केएचएम के मु0न0 58/12 को सिंचाई सुविधा देने हेतु मु0न0 58/13 में किला नं0 5,6,15,16,25 से कच्चा खाला व मु0न0 58/12 के किला नं0 25 में नक्का व कच्चा खाला स्वीकृति प्रदान की है । मौके पर जब खाला चल रहा है तथा खाला अप्रार्थी के मुरब्बे में ही है। तथा सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार रहा है प्रार्थी को नाम–जोख में सन्देह है तो नियमानुसार सीमाज्ञान करवा सकता है । उक्त प्रार्थना पत्र से मुलभूत सुविधाऐ लेने में अप्रार्थी को रोका नहीं जा सकता प्रार्थी प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। अन्तरिम स्थगन दिनांक 18.07.17 निरस्त कर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)